अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
19/05/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 13 / 2007** **मंगरी उराईन बनाम् मतीयस खलखो व अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील–03-R15-2006-07 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। मूलतः विशेष विनियमन पदाधिकारी के न्यायालय से वाद संख्या–230 / 2004–05 में ग्राम–हुण्डरू, खाता नम्बर–52, प्लॉट–950, रकबा–72 डिसमिल भूमि के वापसी हेतु आदेश पारित किया गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। इस वाद में अपीलार्थी की तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक–25.11.2019 को दर्ज करायी गयी। उक्त तिथि के बाद लगातार आवेदक न्यायालय से अनुपस्थित है। उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक–28.03.2022, 07.04.2022 तथा 21.04.2022 को लगातार मौका दिया गया, किन्तु आवेदक की अनुपस्थिति को देखते हुये विपक्षी को सुना गया एवं उभयपक्षों को पुनः लिखित बहस दायर करने हेतु मौका दिया गया। मात्र विपक्षी की तरफ से ही लिखित बहस दायर की गयी। प्रश्नगत् वाद में आवेदिका का दावा है कि उक्त भूमि का हस्तांतरण फर्जी तरीके से अनुमति प्राप्त कर किया गया है, जिस समय मादी उरांव द्वारा उक्त अनुमति आवेदन दायर किया गया था, उक्त समय वे पश्चिम बंगाल में ईलाजरत थे। वर्ष–2004 में विपक्षी द्वारा अवैध तरीके से जब भूमि पर निर्माण किया जाने लगा तो आवेदिका के तरफ से धारा–144 की कार्रवाई भी प्रारम्भ की गयी थी। उक्त कार्रवाई में कोई निर्णय नहीं होने के कारण भूमि वापसी का वाद दायर किया गया, जिसमें विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत् भूमि को वापस करने का आदेश पारित किया गया, किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया। मादी उरांव वर्ष–1981 में अस्पताल में ईलाजरत थे एवं भाकु उरांव	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	जिनके द्वारा बिक्री केवाला निबंधित किया गया, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। किन्तु इन सभी तथ्यों के नजरअंदाज करते हुये अपीलीय न्यायालय द्वारा भूमि वापसी के आदेश को खारिज कर दिया गया। विपक्षी द्वारा यह कहा गया कि प्रश्नगत् भूमि भाकु उरांव के दखल में थी, जिनके द्वारा जिनके द्वारा भूमि को हस्तांतरण करने हेतु Rent Suit Deputy Collector के समक्ष आवेदन दिया गया। दिनांक–31.01.1979 को उक्त आवेदन स्वीकृत किया गया। किन्तु उक्त स्वीकृति के आलोक में भूमि के निबंधन के पूर्व भाकु उरांव की मृत्यु हो गयी तथा उनके स्थान पर उनके एकमात्र पुत्र मादी उरांव को प्रतिस्थापित किया गया, जिनके द्वारा सभी कार्रवाई पूर्ण की गयी एवं भूमि को जॉन खलखो को बिक्री की गयी। उक्त बिक्री के पश्चात् प्रश्नगत् भूमि का नामान्तरण भी किया गया एवं रसीद भी निर्गत की गयी। मादी उरांव की मृत्यु के बाद अपीलार्थियों के द्वारा पुनः उसी भूमि पर भूमि वापसी का आवेदन दायर किया गया, जिसमें विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा धारा–71ए के द्वितीय परन्तुक के तहत् मुआवजा भुगतान का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश को अपीलीय न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। प्रश्नगत् भूमि का हस्तांतरण वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। अतः यह विषय धारा–71 ए के प्रावधानों से आच्छादित नहीं है। अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि मूलतः गंगा उरांव के नाम से खतियान में दर्ज है, जिनके दो पुत्र भाकु उरांव एवं किशुन उरांव थे। किशुन उरांव नावल्द मर गये तथा भाकु उरांव द्वारा धारा–46 के अन्तर्गत वाद संख्या–243-R08/1978-79 भूमि की बिक्री के अनुमति हेतु दायर किया गया। उक्त वाद में अनुमति हेतु आदेश प्राप्त होने के पश्चात् केवाला निबंधन के पूर्व भाकु उरांव की मृत्यु हो गयी, जिस कारण उनके पुत्र मादी उरांव को उक्त वाद में प्रतिस्थापित करते हुये केवाला निबंधन की कार्रवाई की गयी। प्रश्नगत् अनुमति वाद के आदेश देखने से इन तथ्यों की पुष्टि होती है। स्पष्टतः वर्ष–1981 में विधिवत् अनुमति के	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	माध्यम से भूमि का हस्तांतरण किया जा चुका है। आवेदकों के द्वारा उक्त समय मादी उरांव के बाकुंड़ा (पश्चिम बंगाल) में ईलाजरत होने के संबंध में दावा किया गया है, किन्तु उक्त प्रमाण–पत्र में कहीं भी मादी उरांव के अस्पताल में लगातार 03 वर्षों तक भर्ती रहने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। उक्त प्रमाण–पत्र में मात्र मानसिक बीमारी के ईलाज किये जाने का उल्लेख है। आवेदकों के तरफ से भाकु उरांव एवं मादी उरांव के मृत्यु प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे कि उनके द्वारा किये गये दावे की जाँच की जा सके। यह भी स्पष्ट है कि भूमि वापसी हेतु निर्गत अनुमति को मात्र 12 वर्षों के अवधी में सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती थी। प्रश्नगत् मामले में आवेदकों के द्वारा वर्ष–2004 में भूमि वापसी का दावा प्रस्तुत किया गया। स्पष्टतः यह विषय धारा–71ए के प्रावधानों के तहत् आच्छादित नहीं होता है। उक्त भूमि का हस्तांतरण वर्ष–1981 में ही विधिवत् अनुमति प्राप्त करते हुये किया जा चुका है। पुनः उक्त भूमि के संबंध में भूमि वापसी का दावा किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.02 12:22:37 +05:30
Location: 192.168.1.40